

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2139/2018

Babu Lal

----Appellant

Versus

Nanu Ram

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. G S Rathore

For Respondent(s) : Mr. Vikram Singh Jaitawat

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/05/2026

प्रार्थनापत्र संख्या 02/2026 पर सुना गया।

यह प्रार्थनापत्र अपीलार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र में विलम्ब का कारण यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी क्रम-7 जोमा की मृत्यु की जानकारी बाद में हुई, इस कारण प्रार्थनापत्र समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः प्रार्थनापत्र में अंकित कारण व प्रस्तुत तर्क को देखते हुए प्रार्थनापत्र संख्या 02/2026 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

प्रार्थनापत्र संख्या 01/2026 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी पर सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी क्रम-7 की दिनांक 14.03.2022 को मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जानकारी समय पर नहीं होने से उसके विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लाने के लिए प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था और इस कारण उसके विरुद्ध हुए उपशमन को अपास्त किया जावे।

प्रार्थनापत्र में अंकित कारण व प्रस्तुत तर्क को देखते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील उपशमन को अपास्त किया जाता है।

प्रार्थनापत्र संख्या 01/2025 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पर सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी क्रम-7 जोमा की दिनांक 14.03.2022 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक प्रतिनिधिगण को उसके स्थान पर प्रत्यर्थी क्रम-7/1 से 7/3 के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे।

प्रार्थनापत्र में अंकित कारण व प्रस्तुत तर्क को देखते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थनापत्र में वर्णितानुसार प्रत्यर्थी क्रम-7 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधिगण, जिनके विरुद्ध अपीलार्थी को कार्यवाही जारी रखने का अधिकार शेष रहता है, को प्रत्यर्थी क्रम-7/1 से 7/3 के रूप में अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

संशोधित शीर्षक पूर्व से प्रस्तुत किया हुआ है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। कार्यालय संशोधित शीर्षक को पत्रावली में यथोचित स्थान पर संलग्न करें।

अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थी क्रम-7/1 से 7/3 की तामील हेतु आदेशिका शुल्क व नोटिस पेश करें, जो जारी किये जावें।

(SHUBHA MEHTA),J